

बिहार सरकार  
कृषि विभाग।

पत्र सं०:- पी०पी०एम०-30/2016-


1225

/कृ०, पटना दिनांक 17-03-2017

शुद्धि पत्र

शुद्धि पत्र संख्या-पी०पी०एम०-30/2016-09 दिनांक 06.01.2017 द्वारा विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3217, 3218 एवं 3219 दिनांक 22.07.2016 की कंडिका-8 एवं 9 में वर्णित बी०टी०सी० फार्म-42 के स्थान पर बी०टी०सी० फार्म-25 के रूप में संशोधित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त कंडिका-8 में अंकित "विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना के पी०एल० खाता संख्या-271 में आंतरित की जायेगी" एवं कंडिका-9 में अंकित "विपत्र पारित कर राशि का अंतरण जमा के माध्यम से बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी, पटना के पी०एल० खाता संख्या-269 में अंतरित की जायेगी" को भी विलोपित किया जाता है।

2. स्वीकृत्यादेश संख्या-3217, 3218 एवं 3219 दिनांक 22.07.2016 में निहित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।


  
16.3.2017  
(सुधीर कुमार)  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-30/2016 1225

/कृ०, पटना दिनांक 17-03-2017

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.3.2017  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-30/2016 1225

/कृ०, पटना दिनांक 17-03-2017

प्रतिलिपि:- योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.3.2017  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-30/2016 1225

/कृ०, पटना दिनांक 17-03-2017

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
16.3.2017  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी०पी०एम०-30/2016 1225

/कृ०, पटना दिनांक 17-03-2017

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
16.3.2017  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

